भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2502

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स

2502. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स भारत में कारपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य किस प्रकार का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कारपोरेट क्षेत्र और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) अपने कारपोरेट गवर्नेंस एवं पब्लिक पॉलिसी स्कूल के माध्यम से भारत में कारपोरेट गवर्नेंस को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त, आईआईसीए, कारपोरेट वित्त, मूल्यांकन, मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर), कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), पर्यावरण-सामाजिक- गवर्नेंस (ईएसजी), व्यवसाय और मानवाधिकार (बीएचआर), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), अपने वित्त स्कूल के माध्यम से कारपोरेट और व्यवसाय कानूनों, व्यवसाय पर्यावरण स्कूल, कारपोरेट विधि स्कूल, दिवाला और शोधन अक्षमता केंद्र पर विशेष और केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ये सभी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम अपनी कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को मजबूत करने में कारपोरेट क्षेत्र में योगदान करते हैं।

संस्थान और उसके स्कूलों की संबद्धता के व्यापक क्षेत्रों को निम्नलिखित कार्य बिंदुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- कारपोरेट गवर्नेंस के समकालीन पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन
- नियामक ढांचे और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने पर गवर्नेंस क्षेत्र के लिए हिमायत अभियान
- कारपोरेट गवर्नेंस पेशेवरों के लिए लक्षित अल्पकालिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- कारपोरेट गवर्नेंस पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए दीर्घकालिक आभासी पाठ्यक्रम

आईआईसीए निम्नलिखित कार्यक्रमों/कार्यकलापों को भी संचालित करता है:

1) क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम
- बेहतर बोर्डों के निर्माण के लिए मास्टर क्लास
- कारपोरेट गवर्नेंस में दीर्घकालिक सर्टिफिकेट कोर्स
- स्टार्ट अप बोर्ड्स के लिए दीर्घकालिक सर्टिफिकेट कोर्स मूल्यांकन के लिए दीर्घकालिक सर्टिफिकेट कोर्स
- सीएसआर में दीर्घकालिक सर्टिफिकेट कोर्स
- ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी में दीर्घकालिक सर्टिफिकेट कोर्स
- सीपीएसईएस (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) के स्वतंत्र निदेशकों के गैर-आधिकारिक निदेशकों के लिए अभिविन्यास और शिक्षण शिखर सम्मेलन
- सीपीएसई बोर्डों पर सरकार के नामित निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम
- कंपनी के मध्य /वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम
- भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों के अधिकारियों के लिए अनुपालन पाठ्यक्रम
- दिवाला और शोधन अक्षमता में स्नातकोत्तर कार्यक्रम
- उद्यम जोखिम प्रबंधन पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम

(ii) कारपोरेट क्षेत्र के लिए हिमायत पहल

आईआईसीए कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रावधान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), प्रतिस्पर्धा अधिनियम और कारपोरेट क्षेत्र और उसके पेशेवरों के लाभ के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को कवर करते हुए कारपोरेट गवर्नेंस और कारपोरेट कार्य पर नियामक ढांचे को विकसित करने की हिमायत करने में लगा हुआ है। संस्थान सीएसआर, ईएसजी और बीएचआर से संबंधित अपनाने और कारपोरेट प्रथाओं में एकीकरण पर प्रथाओं की भी हिमायत करता है।

(iii) अनुसंधान कार्यकलाप

आईआईसीए कारपोरेट मामलों और गवर्नेंस के विभिन्न समकालीन पहलुओं पर अनुसंधान के लिए क्षेत्रों की पहचान के लिए कारपोरेट क्षेत्र के साथ संलग्न है। कारपोरेट गवर्नेंस, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका, दिवाला और शोधन अक्षमता, प्रतिस्पर्धा और बाजार विनियमन, सीएसआर और ईएसजी के क्षेत्रों में कई अध्ययन किए गए हैं। आईआईसीए ने इन क्षेत्रों पर अध्ययन सामग्री भी प्रकाशित की है जिसका उपयोग लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने कारपोरेट गवर्नेंस, ईएसजी और सीएसआर के क्षेत्रों में पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

आईआईसीए ने कारपोरेट मामलों के क्षेत्र में कारपोरेट क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक पर एक राष्ट्रीय पहल एक ऐसी पहल है जिसे 2019 में कंपनी अधिनियम 2013 में संबंधित प्रावधानों के साथ शुरू किया गया है।

यह पहल भारतीय कंपनियों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बोर्डों में काम करने वाले सभी स्वतंत्र निदेशकों का एक भंडार (डिपॉजिटरी) बनाने के लिए की गई है। यह बड़ी संख्या में पेशेवरों को एक मंच भी प्रदान करता है जो भारतीय कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सेवा करने की इच्छा रखते हैं। इस डेटाबैंक के माध्यम से, आईआईसीए उन महिला पेशेवरों को भी बढ़ावा देता है जो कारपोरेट बोर्डों में नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहते हैं।

11.12.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल 25,132 स्वतंत्र निदेशक और आकांक्षी पेशेवर डेटाबैंक के साथ पंजीकृत हैं, जिनमें से 7,269 महिला निदेशक या निपुण महिला पेशेवर हैं जो कारपोरेट बोर्डों की सेवा करना चाहते हैं। उन्हें अपेक्षित अवसर प्रदान करने के लिए कुल 3,046 कंपनियां भी डेटाबैंक के साथ पंजीकृत हैं ताकि उनकी प्रोफाइल को खोजा जा सके और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जा सके।

पंजीकृत सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए, संस्थान ने मासिक ई-न्यूज़लेटर और अन्य ज्ञान संसाधनों के अलावा 49 ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान की है ताकि उन्हें बोर्ड से संबंधित नियामक ढांचे, अभ्यास पहलुओं और सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत रखा जा सके। सदस्य एक ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा, जो प्रगति ट्रैकर के रूप में कार्य करती है, में भाग लेकर अपनी सीखने की प्रगति को भी समझ सकते हैं।

*****